

DUTY LIST OF OFFICERS IN COMMERCIAL DEPARTMENT			
Officer	Subjects	Assisted by	Subjects
PCCM	Overall In-charge for functioning of Commercial Department of South Central Railway	Secy to PCCM	Assisting PCCM.
CCM/PM	All matters related to unreserved& reserved ticketing systems i.e. UTS,PRS, Unified(UTS & PRS) Counters, ATVMs, JTBS, STBS, YTSK etc, Enquiry systems for dissemination of information to passengers. Additional trains, Special trains (Summer & Holiday), Augmentation of coaches, New trains, Stoppage of Passenger carrying trains etc, Passenger Profile Management (PPM)	Dy.CCM/PM	Assisting CCM/PM
CCM/CLAIMS	All matters related to compensation claims of goods carried by Railways, NR Cell, Goods refunds, Coaching Refunds (Tickets), Railway Claims Tribunal cases relating to Sec.124 & 124 A cases, Consumer Protection Act Cases, Waival of demurrage/wharfage Charges at CCM level, Appellate Authority under Right to information Act.	Dy CCM/CI&PO	Assisting CCM/Claims in compensation claims arising due to Train accidents u/s 124., Coal claim cases. Presenting Officer of RCT/SC, Court and Refund cases.
CCM/FS	All matters related to Parcels & Goods traffic, Issue of Commercial Circulars/Through Rates Circulars, Issue of Rates quotation.	Dy.CCM/FS	Assisting CCM/FS, Public Information Officer under Right to information Act
		ACM/M&D	Assisting CCM/FS & Dy.CCM/FS
CCM/PS	Passenger Amenities/ Works Programmes, Emergency Quota, Cleanliness at stations, Ticket Checking, Public Grievances/Public Complaints, Comml. Contracts, Catering services.	Dy.CCM/IT	Assisting CCM/PS.
		ACM/Resv	Release of Emergency quota and Assisting to CCM/PS,& Dy.CCM/IT in all matters related to reservation / Emergency quota,Public Grievances/Public Complaints .
		SCM/Catg	Assisting CCM/PS & Dy.CCM/IT in Catering Subjects
		SCM/GENL	Assisting CCM/PS & Dy.CCM/IT in all matters other than Catering, Reservation/ Emergency quota, Assistant Public information Officer under Right to information Act.
			Last Updated on 15.02.2021

अधिकारियों के कार्य आबंटन का विस्तृत वर्गीकरण

अधिकारी Officer	विषय Subjects	द्वारा सहायता करना Assisted by	विषय Subjects
मुवाप्र	दक्षिण मध्य रेलवे के वाणिज्य विभाग के कार्य संभालने के लिए समग्र प्रभारी	मुवाप्र के सचिव	मुवाप्र की सहायता करना.
मुवाप्र/पीएम	अनारक्षित व आरक्षित टिकटिंग सिस्टम, एकीकृत अर्थात् (यूटीएस व पीआरएस) काउंटर, एटीवीएम, जेटीबीएस, एसटीबीएस, वाईटीएसके आदि से संबंधित सभी मामले, अतिरिक्त गाड़ियां, विशेष गाड़ियां (ग्रीष्मकालीन/अवकाश) सवारी डिब्बे जोड़ना, नई गाड़ियां, यात्री वहन गाड़ियों को रोकना आदि, पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट (पीपीएम),	उपमुवाप्र/पीएम	मुवाप्र/पीएम की सहायता करना.
मुदाधि	रेलवे द्वारा वहन किए गए माल के प्रतिपूर्ति दावे, एनआर सेल, माल वापसी, कोचिंग वापसी (टिकट) से संबंधित सभी मामले, धारा 124 और 124 ए से संबंधित रेलवे दावा प्राधिकरण के मामले, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मामले, मुवाप्र के स्तर पर विलंब/घाट शुल्कों को माफ करना, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलिय प्राधिकारी .	उमुवाप्र/ दावा व पीओ	गाड़ी दुर्घटनाओं यू/एस 124 के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिपूर्ति दावों में, कोयला दावा मामलों. रेदाप्र/सिकं के प्रस्तुति अधिकारी, न्यायालय और धनवापसी मामलों में मुदाधि की सहायता करना.
मुवाप्र/एफएस	पार्सल एवं माल यातायात से संबंधित सभी मामले, वाणिज्य परिपत्र/सीधा दर परिपत्र, दर कोटेशन जारी करना.	उमुवाप्र/एफएस	मुवाप्र/मालभाड़ा सेवा, की सहायता करना.
		सवाप्र/एमएंडडी	मुवाप्र/एफएस और उप मुवाप्र/एफएस की सहायता करना
मुवाप्र/पीएस	यात्री सुख-सुविधाएं/निर्माण कार्यक्रम, आपाती कोटा, स्टेशनों पर साफ-सफाई, टिकट जांच, साफ-सफाई, टिकट जांच, जन परिवेदना/जनशिकायतें, वाणिज्यिक संविदाएं, खान-पान सेवाएं.	उमुवाप्र/सूप्रौ	मुवाप्र/यात्री सेवा की सहायता करना.
		सवाप्र/आरक्षण	आपाती कोटा रिलीज करना तथा आरक्षण और आपाती कोटा से संबंधित सभी मामलों में मुवाप्र/पीएस व उप मुवाप्र/सूप्रौ की सहायता करना.
		ववाप्र/खानपान	सभी खान-पान नीति और खानपान से संबंधित सभी मामलों में मुवाप्र/सीएंडपीएस और उमुवाप्र/सामान्य की सहायता करना.
			खान-पान, आरक्षण/आपाती कोटा के सभी मामलों को छोड़कर, मुवाप्र/पीएस तथा उमुवाप्र/सूप्रौ के सभी मामलों में सहायता करना.
			15.02.2021 को आखिरी अद्यतन किया गया